

OLD AGE BENEFIT SCHEME

DETAILS OF THE “OLD AGE BENEFIT” WELFARE SCHEME FOR THE INDIAN SEAFARER WHO ATTAINS THE AGE OF 65 YEARS ON 1.1.2019 & 75 YEARS ON 1.1.2026 OR THEREAFTER

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (hereinafter referred to as the Society) as defined in Article 3 (XV) of the Memorandum of Association of the Society, the Indian seafarer as being eligible in terms of provisions of the rule 3 herein below, may be provided the financial assistance under “OLD AGE BENEFIT” welfare scheme” to the Indian seafarer who attains the age of 65 years on 1st January 2019 or thereafter under the circumstances and to the extent detailed herein below.
2. Such financial assistance to the Indian seafarer on attaining 65 years on 1st January 2019 & 75 years on 1st January 2026 or thereafter shall be provided. At the absolute discretion of the society such financial assistance, may be dispensed with and / or curtailed or enhanced, suspended or completely withdrawn at any time without any prior notice. The availability of such financial assistance under the “Old Age Benefit” welfare scheme to the eligible Indian seafarer does not in any manner confer or create any prescriptive right whatsoever and shall not be called in question

3. Eligibility

- A) The scheme is applicable to Indian seafarer who attains the age of 65 (sixty five) years on 1st January 2019 or thereafter and fulfills all the following conditions:
- B) The scheme is applicable to Indian seafarer who attains the age of 75 (sixty five) years on 1st January 2026 or thereafter and fulfills all the following conditions
 - (i) He / She should have last performed cumulative 6 months (six months) sea service after 01.04.2014 after the age of 55 years; **(amended to minimum 6 months cumulative sea service after the age of 50 years w.e.f. 27.01.2026)**
 - (ii) He / She should have joined Indian flag vessel or engaged through registered RPS License holding company on Indian or Foreign flag vessels and
 - (iii) He / She should have an Indian CDC, which has been duly cancelled.

4. Quantum”

- i) The quantum of financial assistance under this scheme shall be ₹ 50,000/- in respect of seafarers who complete 65 years to the eligible Indian Seafarer.
 - ii) The quantum of financial assistance under this scheme shall be ₹ 1,00,000/- in respect of seafarers who complete 75 years on or after 1.1.2026 to the eligible Indian Seafarer.
5. The Society may approach the Indian ship-owner / registered RPS company concerned to obtain such particulars as may be necessary, for the purpose of payment of financial assistance envisaged under this scheme.
 6. To receive the benefit under this scheme only such applications will be entertained which are submitted to the Seafarers' Welfare Fund Society within a period of twelve months after attaining the age of sixty five years or seventy five years.
 7. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form along with original latest CDC book.
 8. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful / disputed and / or exceptional cases, the Committee of Management of the SWFS may examine and decide the cases, on case to case basis and its decision shall be final.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700, Email-swfs1966@gmail.com

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER OLD AGE BENEFIT SCHEME FOR 65 YEARS

(Please refer notes given on next page before submitting this application form.)

1. Seafarer's name in full : Mr./Mrs./Ms. _____
(As per CDC Book)
2. CDC number & CDC Cancellation order no & date : _____
3. Date of Birth as per CDC : _____
4. The name of the vessel last sign-off : _____
Date of sign-off _____
5. Indian ship-owners Co. name OR Recruitment & Placement Service (RPS) provider name M/s. _____
RPSL No. & it's Registration No. : _____
6. Correspondence address : _____

7. Telephone No/Mobile No. : _____
- 8 E-mail address : _____

I, the undersigned, wish to inform you that I have completed by 65 years (Sixty five Years) of age on _____

I now request you to grant me, the financial assistance under the 'old Age Benefit Scheme' SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am supporting herewith following document, to receive the claim under the scheme.

- (a) Copy of latest CDC book / Self – attested copy of CDC Book.
- (b) CDC Cancellation order copy.
- (c) Account details.

P.T.O.....2.....

I give below my Bank account details. (Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited (mandatory) :

Name of the bank	Branch Name	Branch address	S.B. A/c no.	Branch IFSC code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account Or original cancelled cheque showing applicant's name and bank details)

I declare that I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted as above, and at later date, if it is proved, that I am not the actual beneficiary, or my claim was found dishonest, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society.

Place: _____

Date: _____

(Applicant's Signature or Thumb Impression)

Name of Applicant: _____

Note 1: This scheme is applicable only for Indian seafarers, holding Indian CDC and has completed his/her 65 years of age on or after 1st January, 2019 and has last performed cumulative six months sea service after 1.4.2014 after the age of 55 years.

Note 2: The application for financial assistance should be received by the Society within a period of twelve months after attaining the age of sixty five years.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No. _____

Documents attached verified and the applicant found eligible / not eligible under 'Old Age Benefit Scheme' for financial assistance of Rs. _____. (Rs. _____ only)

Checked by D.A.
(CAAO)

Verified by (A.A.O.)

Recommended by

Approved by MT/MS.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700, Email-swfs1966@gmail.com

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER OLD AGE BENEFIT SCHEME FOR 75 YEARS

(Please refer notes given on next page before submitting this application form.)

1. Seafarer's name in full : Mr./Mrs./Ms. _____
(As per CDC Book)
2. CDC number & CDC Cancellation order no & date : _____
3. Date of Birth as per CDC : _____
4. The name of the vessel last sign-off : _____
Date of sign-off _____
5. Indian ship-owners Co. name OR Recruitment & Placement Service (RPS) provider name M/s. _____
RPSL No. & it's Registration No. : _____
6. Correspondence address : _____

7. Telephone No/Mobile No. : _____
8. E-mail address : _____

I, the undersigned, wish to inform you that I have completed by 75 years (Seventy five Years) of age on _____ (after 1.1.2026)

I now request you to grant me, the financial assistance under the 'old Age Benefit Scheme' SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am supporting herewith following document, to receive the claim under the scheme.

- (a) Self – attested copy of CDC Book.
- (b) Vessel copy of CDC book 6 months sea service after the age of 50 years.
- (c) Account details.

P.T.O.....2.....

I give below my Bank account details. (Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited (mandatory) :

Name of the bank	Branch Name	Branch address	S.B. A/c no.	Branch IFSC code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account Or original cancelled cheque showing applicant's name and bank details)

I declare that I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted as above, and at later date, if it is proved, that I am not the actual beneficiary, or my claim was found dishonest, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society.

Place: _____

Date: _____

(Applicant's Signature or Thumb Impression)

Name of Applicant: _____

Note 1: This scheme is applicable only for Indian seafarers, holding Indian CDC and has completed his/her 75 years of age on or after 1st January, 2026 and has last performed cumulative six months sea service after the age of 50 years.

Note 2: The application for financial assistance should be received by the Society within a period of twelve months after attaining the age of seventy five years.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No.

Documents attached verified and the applicant found eligible / not eligible under 'Old Age Benefit Scheme' for financial assistance of Rs. _____. (Rs. _____ only)

Checked by D.A.

Verified by (A.A.O.)

Recommended by (CAAO)

Approved by MT/MS.

वृद्धावस्था लाभ योजना

1.1.2026 और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भारतीय नाविकों के लिए 1.1.2026 या उसके बाद

65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले "वृद्धावस्था लाभ" कल्याण योजना का विवरण

1. सोसाइटी के एसोसिएशन के ज्ञापनके अनुच्छेद 3 (XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय नाविक जो यहां नीचे दिए गए नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार पात्र है, भारतीय नाविक को "वृद्धावस्था लाभ" कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है जो 1 जनवरी 2019 को या उसके बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार।
2. भारतीय नाविक को 1 जनवरी 2019 को 65 वर्ष और 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सोसाइटी के पूर्ण विवेक पर, ऐसी वित्तीय सहायता, किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और/या बढ़ाई जा सकती है, निलंबित की जा सकती है या पूरी तरह से वापस ली जा सकती है। पात्र भारतीय नाविक को "वृद्धावस्था लाभ" कल्याणकारी योजना के तहत इस तरह की वित्तीय सहायता की उपलब्धता किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही बनाती है और इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा

3. पात्रता

- A) यह योजना भारतीय नाविकों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 2019 को या उसके बाद 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं और निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं:
- B) यह योजना भारतीय नाविकों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 2026 या उसके बाद 75 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं और निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं
 - (i) उसे 55 वर्ष की आयु के बाद 01.04.2014 के बाद संचयी 6 महीने (छह महीने) समुद्री सेवा का अंतिम प्रदर्शन करना चाहिए; (65 वर्ष की योजना के लिए आवेदन करने वाले नाविक के लिए 50 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 6 महीने संचयी समुद्री सेवा और 75 वर्ष की योजना के लिए आवेदन करने के लिए 1.1.2026 के बाद से संशोधित)
 - (ii) उसे भारतीय ध्वज पोत में शामिल होना चाहिए या भारतीय या विदेशी ध्वज पोतों पर पंजीकृत आरपीएस लाइसेंस धारक कंपनी के माध्यम से नियुक्त होना चाहिए
 - (iii) उसके पास एक भारतीय सीडीसी होना चाहिए, जिसे विधिवत रद्द कर दिया गया हो।

4. क्वांटम"

- i) इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि ₹ 50,000/- उन नाविकों के लिए होगी जो पात्र भारतीय नाविक के लिए 65 वर्ष पूरे कर चुके हैं।
 - ii) इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि ₹ 1,00,000/- उन नाविकों के लिए होगी जो 1.1.2026 को या उसके बाद 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं।
5. सोसाइटी इस योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय सहायता के भुगतान के प्रयोजन के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिए संबंधित भारतीय पोत-मालिक/पंजीकृत आरपीएस कंपनी से संपर्क कर सकती है।

6. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो पैंसठ वर्ष या पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बारह महीने की अवधि के भीतर नाविक कल्याण निधि सोसायटी को प्रस्तुत किए जाते हैं।
7. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम सीडीसी पुस्तक के साथ किया जाना है।
8. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफएस की प्रबंधन समिति मामले की जांच और मामले के आधार पर निर्णय ले सकती है और उसका निर्णय अंतिम होगा।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन, ग्राउंड फ्लोर, आर. कामनी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. 8097552900/8097553700

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र वृद्धावस्था लाभ योजना (ओएबीएस)

1. व्यक्तिगत विवरण

1. आवेदक का पूरा नाम : _____
2. जन्म तिथि : _____
3. आयु (आवेदन की तारीख के अनुसार) : _____ वर्ष
4. मोबाइल नं : _____
5. ईमेल आईडी (यदि कोई हो) : _____
6. आवासीय पता : _____

2. सीडीसी विवरण

1. भारतीय सीडीसी संख्या : _____
2. सीडीसी जारी करने की तिथि : _____
3. सीडीसी रद्द करने की तिथि : _____
4. सीडीसी रद्द करने का आदेश नं : _____

3. समुद्री सेवा विवरण

क्र.सं.	नौवहन कंपनी का नाम/कंपनी	आरपीएसएल नं	जलयान का नाम	रैंक	सेवा की अवधि	कुल समुद्री सेवा
1						
2						
3						

4. पात्रता घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि:

1. मैंने 01.01.2019 को या उसके बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
2. मैंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने और 01.04.2014 के बाद भारतीय नौवहन कंपनी/आरपीएसएल कंपनी के माध्यम से न्यूनतम संचयी समुद्री सेवा की है।
3. मेरे पास विधिवत रद्द किया गया भारतीय सीडीसी है।
4. मैंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीडीसी निरसन आदेश संलग्न किया है।

5. बैंक विवरण

1. खाता धारक का नाम : _____
2. बैंक का नाम : _____
3. शाखा का नाम : _____
4. खाता संख्या : _____
5. आईएफएससी कोड : _____
6. रद्द किया गया चेक संलग्न है : हाँ/नहीं

6. बंद किए गए दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	दस्तावेज़	संलग्न (हाँ/नहीं)
1	सीडीसीडीसी बुक की प्रति	
2	सीडीसी रद्द करने का आदेश	
3	बैंक पासबुक/रद्द किया गया चेक	

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो नाविक कल्याण निधि सोसायटी को मेरा आवेदन अस्वीकार करने और दी गई किसी भी वित्तीय सहायता को वसूल करने का अधिकार होगा।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

टिप्पणी 1: "सक्षम प्राधिकारी/समिति ने न्यूनतम संचयी समुद्री सेवा के संबंध में ओएबीएस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि आवेदक को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मौजूदा प्रावधान के अनुसार 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद संचयी 6 महीने की समुद्री सेवा के बजाय 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भारतीय नौवहन कंपनी या आरपीएसएल कंपनी के माध्यम से न्यूनतम संचयी समुद्री सेवा करनी चाहिए के लिए

कार्यालय उपयोग के लिए केवल

आवेदन संख्या _____

संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित किया गया और आवेदक को रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 'वृद्धावस्था लाभ योजना' के तहत योग्य/अक्षम पाया गया। (रू..)

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. **8097552900/8097553700.**

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र 75 वर्षों के लिए वृद्धावस्था लाभ योजना

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले अगले पृष्ठ पर दिए गए नोट्स देखें)

- 1 नाविक का पूरा नाम : श्री/श्रीमती _____
(सीडीसीडीसी बुक के अनुसार)
2. सीडीसी नंबर और सी.डी.सी. रद्द करने
का आदेश संख्या और दिनांक : _____
3. सीडीसी के अनुसार जन्म तिथि : _____
4. जलयान का अंतिम नाम : _____

साइन ऑफ की तिथि _____
5. भारतीय पोत-मालिकों का नाम या
भर्ती और नियुक्ति सेवा (आरपीएस) मैसर्स _____
प्रदाता का नाम आरपीएसएल नं. _____
और यह पंजीकरण संख्या है : _____
6. पत्राचार का पता : _____

7. टेलीफोन नं/मोबाइल नं : _____
7. ई-मेल पता : _____

मैं, अधोहस्ताक्षरी, आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने (1.1.2026 के बाद) 75 वर्ष (पचहत्तर वर्ष) की आयु पूरी कर ली है _____

मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे योजना के लिए लागू 'पुरानी आयु लाभ योजना' एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज के साथ समर्थन कर रहा हूं।

(a) सीडीसीडीसी बुक की स्व-सत्यापित प्रति।

(b) 50 वर्ष की आयु के बाद सी.डी.सी. पुस्तक की पोत प्रति 6 महीने की समुद्री सेवा।

(c) खाता विवरण।

मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देता हूँ। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.)

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है (अनिवार्य):

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी नंबर।	शाखा आईएफएससी कोड

(टिप्पणी: आवेदक का नाम और बैंक विवरण दिखाने वाली एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति या मूल रद्द चेक संलग्न करें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूँ, और बाद की तारीख में, यदि यह साबित हो जाता है कि मैं वास्तविक लाभार्थी नहीं हूँ, या मेरा दावा बेईमान पाया गया था, तो मैं एसडब्ल्यूएफ सोसायटी को पूरी वित्तीय सहायता वापस करने का वचन देता हूँ।

स्थान: _____

तारीख: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम: _____

टिप्पणी 1: यह योजना केवल भारतीय सी.डी.सी. धारक भारतीय नाविकों के लिए लागू है और 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और 50 वर्ष की आयु के बाद पिछले छह महीने की संचयी समुद्री सेवा का प्रदर्शन किया है।

टिप्पणी 2: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बारह महीने की अवधि के भीतर सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या।

संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित किया गया और आवेदक को रुपये की वित्तीय सहायता के लिए "वृद्धावस्था लाभ योजना" के तहत योग्य/अक्षम पाया गया